भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 804

14 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की उपयोगिता

804# श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम स्तरीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की क्या उपयोगिता है;

(ख) क्या इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ऋण संरचना की व्यवस्था की जाती है; और

(ग) सरकार द्वारा इन समितियों को मजबूत करने की दिशा में क्या योजना बनाई गई है, तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग) : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) देश में पंचायत/ग्राम स्तर पर अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का सबसे निचला स्तर है। वे किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण, उर्वरक, कीटनाशक, बीज आदि जैसी अन्य इनपुट सुविधाएं प्रदान करके देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में लगभग 95,000 PACS हैं, जिनमें लगभग 13 करोड़ सदस्य हैं। इन्हें नाबार्ड द्वारा 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और 34 राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के माध्यम से पुनर्वित्त किया जाता है। StCBs और DCCBs मिलकर सालाना लगभग ₹5 लाख करोड़ ग्रामीण ऋण प्रदान करते हैं, जिसमें से ₹1.3 लाख करोड़ नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है।

PACS के कार्यों में पारदर्शिता लाने, कार्यकुशलता बढ़ाने, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित करने, DCCB और StCB के साथ निर्बाध लेखांकन करने और भुगतानों में असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से, ₹ 2,516 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय से तीन वर्षों में, 63,000 कार्यशील PACS के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 29 जून, 2022 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकृत कर दिया है । इस परियोजना में सभी कार्यशील PACS को ERP (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर पर लाना तथा उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है। सामान्य लेखा प्रणाली (CAS) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के कार्यान्वयन से PACS अपने कार्यों को ऑनलाइन करने और DCCBs और StCBs के माध्यम से नाबार्ड से पुनर्वित्त/ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

वर्तमान में, PACS द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियाँ उनके संबंधित उपनियमों द्वारा संचालित होती हैं, जो ज्यादातर मामलों में पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है। PACS को मजबूत करने और उनके व्यावसायिक कार्यकलापों का विविधीकरण करके उन्हें पंचायत स्तर पर एक जीवंत आर्थिक संस्थान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, नाबार्ड, नैशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लि. (NAFSCOB), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि से विचार विमर्श के बाद मॉडल उपविधियां तैयार की गई हैं । PACS के लिए तैयार मॉडल उपविधियां इन्हें 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में समर्थ करती है जिसमें डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीज़ल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हाइरिंग केन्द्र, कॉमन सेवा केन्द्र, उचित मूल्य दुकान, सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्य, आदि ।

*****